फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

ओम प्रकाश बनाम राज्य

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 358/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
08/9/25	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ उमाशंकर उर्फ ओमप्रकाश पिता श्री मदनलाल औदाली निवासी— बिलिया तह. बस्सी ~~तहसील व~~ जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम बिलीया प.ह. नगरी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 532/0.62 (खाता 290), 529/0.74, 533/0.23 (खाता 127) कुल कीता 03 कुल रकबा 1.59 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम बिलीया (नगरी) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 532/0.62, 529/0.74, 533/0.23 कुल कीता 03 रकबा 1.59 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रूपये अक्षरे एक हजार मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)